न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , आगरा।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–767 / 2019

रामपाल सिंह बनाम श्रीमती रीना आदि

दिनांक : 30.05.2019

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 156(3) द0प्र0सं0 पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पुलिस अधिकारी को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति रजिस्ट्री डाक की रसीद की छाया प्रति आदि दाखिल किया गया।

आवेदक का कथन है कि आवेदक वृद्ध कैंसर बीमार से पीड़ित व सेवानिव्त्त व्यक्ति है जो अपनी विकलांग पत्नी व छोटे लड़के के साथ कमला नगर आगरा में रहता है। आवेदक के बड़े लड़के ललित की शादी विपक्षी सं01 से हुई थी जो जिला मुरैना एम0प्र0 में ए0एन0एम0 के पद पर कार्यरत है। जो आवेदक को आगरा आकर मकान को बेचने की धमकी देती है तथा आये दिन आवेदक व उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करती। दिनांक 11.04.2019 को रात्रि 9 बजे आवेदक अपने घर पर सो रहा था कि विपक्षीगण घर में घुस आये और और जान से मारने की नियत से आवेदक का गला दबा दिया तथा उसकी पत्नी को मारने पीटने लगे, शोर पर जब आवेदक की छोटा लड़का व उसकी पत्नी आयी तो विपक्षीगण ने उन्हे भी मारा पीटा व कपड़े फाड़ दिये।

आवेदक द्वारा अपनी बहू व उसके घरवालो के खिलाफ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें मारपीट के सम्बन्ध में कोई आघात प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है दो अन्य व्यक्तियों का नाम पता अज्ञात लिखा जाना मामले को तूल देने के आशय से लिखा गया है।

प्रकरण के सारे तथ्य, साक्षीगण एवं मुल्जिम ज्ञात है और आवेदक की ज्ञान की परिधि में है। इसलिए पुलिस से विवेचना कराकर अलग साक्ष्य संकलन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निर्णयज विधि सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ए0सी0सी0 2007(59)पेज 739 में यह अवधारित किया गया है कि यद्यपि प्रार्थना पत्र के अभिकथनो से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता हो, तब भी यदि मामला विश्वसनीय नहीं है तो मजिस्ट्रेट प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं है तथा ऐसे मामले में प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय स्वयं जांच कर सकती है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थतियें तथा माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता हैं। लिपिक तदनुसार मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करे। पत्रावली दिनांक 06.07. 2019 वास्ते बयान अर्न्तगत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु पेश हो।

थाना न्यू आगरा, जिला आगरा से सम्बन्धित इस परिवाद मामले को विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0–12 आगरा को अन्तरित किया जाता है।

(सर्वजीत कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगरा।